प्रेषक,

चकबंदी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

50

सेवा में,

समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक चकबंदी, उ.प्र.।
समस्त बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी,उ.प्र.।
समस्त चकबंदी अधिकारी/सहायक चकबंदी अधिकारी, उ.प्र.।

संख्या- 626 /जी.-415/2009-10 दिनांक- 20 जून, 2009

विषय- सीमांकन/कब्जा परिवर्तन कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थलीय सत्यापन व जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत है कि निदेशालय के पत्र संख्या 5737/जी.415/2009-10 दिनांक 20.05.09 के द्वारा वर्ष 2009 में सीमांकन व कब्जा परिवर्तन हेतु उपलब्ध ग्रामों की कार्ययोजना परिचालित की गई थी और यह निर्देश दिये गये थे कि जनपद/इकाई में उपलब्ध चकबंदी लेखपालों की टीमें बनाकर सीमांकन व कब्जा परिवर्तन का कार्य कराया जाये तथा प्रत्येक दशा में 15.07.09 तक सभी उपलब्ध ग्रामों का सीमांकन व कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण किया जाये।

2. सीमांकन व कब्जा परिवर्तन के संबंध में चकबंदी मैनुअल में सुस्पष्ट प्राविधान उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी से अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तारवार उल्लेख किया गया है; खास-तौर से मैनुअल के प्रस्तर 330 से 341क तक विशेष रूप से प्रासंगिक है। मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न जनपदों में किये गये निरीक्षण/भ्रमण से यह परिलक्षित हो रहा है कि सीमांकन व कब्जा परिवर्तन के कार्य को पूर्ण रूप से चकबंदी लेखपालों के ही ऊपर छोड़ दिया गया और सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदीगण इस कार्य में सक्रिय रूप से योगदान नहीं कर रहे हैं। चकबंदी अधिकारियों का यह कृत्य न केवल चकबंदी योजना व निर्गत निर्देशों के प्रतिकूल है बल्कि इससे कार्य की गुणवत्ता व समयबद्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इस बात की भी सम्भावना है कि अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा आधा-अधूरा ही सीमांकन व कब्जा परिवर्तन कराकर रिपोर्ट दे दी जाये। इस बात की भी सम्भावना बनी रहेगी कि कागजों में तैयार चकबंदी योजना का धरातल पर क्रियान्वयन में बहुत सी त्रुटि/कमियां रह जायें। मैनुअल के प्रस्तर 331 में स्पष्ट प्राविधान है कि सहायक चकबंदी अधिकारी ग्रामों में जाकर कमियों/समस्याओं को अपने हस्तलेख में आकार पत्र 36 में दिये गये रजिस्टर में दर्ज करेंगें व पक्षकारों के बीच समझौता

कराकर अधिक से अधिक समस्याओं/कमियों को मौके पर ही दूर करने की कोशिश करेंगें। मुख्यालय पर प्रतिदिन आने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों में भी अधिकांश शिकायतें इसी आशय की हैं कि खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल में से आवश्यक/वांछित कटौती करने के उपरान्त अवशेष क्षेत्रफल का सही-सही सीमांकन व कब्जा परिवर्तन नहीं कराया गया।

3. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि चकबंदी लेखपाल से लेकर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी तक प्रत्येक चकबंदी कार्मिक द्वारा सीमांकन व कब्जा परिवर्तन के अति-महत्वपूर्ण व संवेदनशील कार्य के गुणवत्ता पूर्ण व समयबद्ध सम्पादन हेतु चकबंदी मैनुअल, चकबंदी नियमावली व अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार अपने-अपने स्तर पर सक्रिय भूमिका अदा की जाये।

4. यह भी निर्देशित किया जाता है कि सीमांकन व कब्जा परिवर्तन हो जाने के पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी व चकबंदी अधिकारी द्वारा संबंधित ग्रामों का शत-प्रतिशत, बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा कम से कम 50% व उप संचालक चकबंदी द्वारा कम से कम 25% ग्रामों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाये कि सीमांकन व कब्जा परिवर्तन अनुमोदित चकबंदी योजना के अनुरूप ही कराया गया है और संज्ञान में आयी कमियों व शिकायतों का पूर्ण रूपेण निराकरण कर दिया गया है। किसी भी स्तर पर इस संबंध में हुई ढिलाई व लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
20.6.09

(एन.एस.रवि)
चकबंदी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक में इस कार्य की समीक्षा करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख संचिव, राजस्व अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

(एन.एस.रवि)
चकबंदी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।